

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग  
सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 8217/मानि.-1/प्र.अ./लो.स्वा.यॉ./भोपाल 13

दिनांक 10/07/13  
3/8/13

प्रति,  
मुख्य अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग  
परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर  
विद्युत / यंत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

विषय : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं हेतु प्रावधान ।

संदर्भ : भारत शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का पत्र क्रमांक F.No.W-11011/01/2012-w-1 Dated 20/02/13

भारत शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मैनुअल जारी किया गया है, जो फरवरी 2013 से लागू किया गया है । नलजल प्रदाय योजनायें तैयार करने के पूर्व मैनुअल का अध्ययन करने हेतु समस्त मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करें कि मैनुअल का भलीभांति अध्ययन कर उसके प्रावधानों के अनुरूप योजनायें तैयार करायें, मैनुअल की प्रति भारत शासन की वेबसाईट की निम्न लिंक पर उपलब्ध है :-

[http://www.mdws.gov.in/sites/upload\\_files/ddws/files/pdf/Manual For Preparation of DPR Schemes.pdf](http://www.mdws.gov.in/sites/upload_files/ddws/files/pdf/Manual%20For%20Preparation%20of%20DPR%20Schemes.pdf)

मैनुअल के मुख्य मुख्य प्रावधानों यथा 1. योजना का क्रियान्वयन काल 2. योजना के विभिन्न अवयवों के डिजाइन पीरियड 3. जल प्रदाय की दर 4. योजना का संरचनात्मक ढांचा एवं तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति का गठन 5. पम्पिंग यूनिट्स की स्टैंड बाई क्षमता आदि, का विवरण निम्नानुसार है :-

1. योजना का क्रियान्वयन काल :

1.1 मिनी नल जल प्रदाय योजना :

1 वर्ष तक

1.2 स्टैंड एलोन जल शोधन सिस्टम्स पर आधारित योजनायें :

01 से 02 वर्ष तक

1.3 समूह नल जल प्रदाय योजनायें :

02 से 03 वर्ष तक

2. योजनाओं के विभिन्न अवयवों का डिजाइन पीरियड :

स.क्र.	अवयव	डिजाइन पीरियड
1.	स्रोत	
	1.1 सतही	30 वर्ष
	1.2 भू-गर्भीय	20 वर्ष
2.	अंतर्ग्राही कूप	30 वर्ष
3.	पम्पिंग	
	3.1 पम्प हाऊस (सिविल वर्क्स)	20 वर्ष
	3.2 विद्युत मोटर एवं पम्प	10 वर्ष
4.	जल संशोधन इकाई	20 वर्ष

स.क्र.	अवयव	डिजाइन पीरियड
5.	जल संशोधन संयंत्र की विभिन्न इकाईयों के मध्य पाइपिंग	20 वर्ष
6.	अशुद्ध एवं शुद्ध जल परिवहन मैन	20 वर्ष
7.	बैलेंसिंग रिजरवायर ( उच्च स्तरीय टंकियां)	20 वर्ष
8.	जल वितरण प्रणाली	20 वर्ष

### 3. जल प्रदाय की दर :

3.1 घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु (पशुओं हेतु जल आवश्यकता सहित)	55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
3.2 संस्थागत/ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मांग की पूर्ति हेतु	05 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
3.3 अग्निशमन हेतु मांग की पूर्ति हेतु (Approx. @5% of 55 LPCD)	03 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
3.4 परिवहन एवं वितरण के दौरान ह्रास	07 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
कुल जल प्रदाय	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

\* ग्राम में पूर्व से उपलब्ध पेयजल व्यवस्था को घटाते हुये, शेष योजना इस प्रकार से अभिकल्पित की जाना चाहिये, जिससे कुल जल प्रदाय 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त हो ।

4. योजना का संरचनात्मक ढांचा : जिस ग्राम/ ग्रामों के लिये योजना तैयार की जा रही है, उसमें तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति के गठन के संबंध में पूर्ण विवरण यथा उसके सदस्यों के नाम, यदि योजना पूर्व से कार्यरत है तो उसके सदस्यों की योजना के संचालन एवं संधारण में भागीदारी का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये । ग्रामीण जनों को जन सहयोग की राशि म.प्र.शासन के निर्धारित नियमानुसार जमा करना होगी, जो उन्हें योजना के संतोषजनक संचालन एवं संधारण पर वापस की जा सकेगी इसके अतिरिक्त शासन के नियमानुसार वचनपत्र आदि भी प्रस्तुत करने होंगे ।

उपरोक्तानुसार योजनायें तैयार करने हेतु समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें ।

302/SE/mis/13  
5-8-13

पृष्ठांकन क्रमांक 82/7 / मानि.-1/ प्र.अ./ लो.स्वा.याँ./ भोपाल 13  
प्रतिलिपि:

(एन.के.सेहरा)

प्रमुख अभियंता

दिनांक 10/7/13 3/8/13

1. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अधीक्षण यंत्री (मॉनि.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.याँ.वि.सतपुडा भवन भोपाल ।
3. अधीक्षण यंत्री (एम.आई.एस.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.याँ.वि.सतपुडा भवन भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।

प्रमुख अभियंता

1229/SE/m  
7-8-13

MIS  
8/8/13